न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 111 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

राज्य (द्वारा आनन्द कुमार राम, सूचक) बनाम दीपु राम वगैरह

आदेश / कार्रवाई की तिथि	आदेश अंतर्गत धारा 255 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता	कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई तिथि सहित
19.03.2026	1. प्रस्तुत मामला अभियुक्त प्रेमाधार राम, दीपु राम, पारस राम उर्फ पारसनाथ राम, संजीत राम, रंजीत राम, मनीष राम, रवि राम, सुदर्शन राम, उदय शंकर राम, मनु राम, भूषण राम, मुकेश राम, आशिर्वाद राम, अमित राम, दीपक राम, जंगबहादूर राम, कमलेश राम, हरिकिशुन राम, देवसागर राम, सोनाधन राम, नन्द कुमार राम, गंगासागर राम, देवव्रत राम, आशा देवी, मानती देवी, फुलन देवी, शान्ति देवी, चंद्रावती देवी, प्रमोद राम, जगजीवन राम, सुरज राम एवं गोविन्दा राम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 126(2)/3(5), 109(1)/3(5) एवं 352/3(5) भारतीय नागरिक संहिता के अपराध हेतु विचारित किया गया है। 2. मामला बिहियां थाना काण्ड संख्या 91/2025, उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध 126(2), 115(2), 352, 109(1) एवं 3(5) भारतीय नागरिक संहिता के अपराध हेतु पंजीकृत है। प्राथमिकी के आवेदन के अनुसार अभियोजन के कथानक का सारांश इसप्रकार है। ग्राम लहंग डुमरिया चमरटोली में शंकर जी के मंदिर के पास सूचक के भतीजा के साथ हुए पूर्व गाली–गलौज की घटना को लेकर मिटिंग था। जिसमें सूचक के गांव के विचारित अभियुक्तों सहित कुल 37 अभियुक्त अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा एवं लोहा का रड लेकर जान मारने की नियत से सभी मिलकर हमला कर दिये। इसमें दीनानाथ पासवान को सर पर चोट आयी और वह गिरकर बेहोश हो गया। वहाँ गांव के	सत्र न्यायाधीश 19.03.2026

Office of Principal District & Sessions Judge ★ Bhojpur, Ara ★ सत्यमेव जयते

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा।
सत्र विचारण संख्या 111 सन 2025
उपस्थित श्री पुरूषोत्तम सिंह
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोजपुर आरा।

लगातार
19.03.2026

लोग आकर जान बचाए। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज कराकर सूचक ने थाना पर दिनांक 19.03.2025 को समय 6.30 बजे संध्या फर्दबयान दिया है।

3. अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा विचारित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 338/2025 दिनांक 31.07.2025 भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 109(1) एवं 3(5) के अपराध से आरोपित करते हुए समर्पित किया गया है।

4. विचारित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 14.10.2025 को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 109(1) एवं 3(5) के अपराध का संज्ञान लिया गया है एवं इसके उपरांत अभियुक्तों का वाद दौरा सुपुर्द किया गया है।

Office of Principal District & Sessions Judge ★ Bhojpur, Ara ★ सत्यमेव जयते

5. सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 26.11.2025 को भारतीय नागरिक संहिता की धारा 126(2)/3(5), 109(1)/3(5) एवं 352/3(5) के अपराध का आरोप पत्र गठित किया गया है।

6. प्रतिरक्षा की कहानी यह है कि अभियुक्त निर्दोष हैं एवं इन्हें मिथ्या फंसाया गया है।

7. अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 2 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया गया है। अभियोजन साक्षी 1 स्वयं सूचक आनन्द कुमार राम एवं साक्षी संख्या 2 जख्मी दीनानाथ पासवान है।

सत्र न्यायाधीश
19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 111 सन् 2026
उपस्थित: श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार
19.03.2026

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या 1 सूचक आनन्द कुमार राम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना के समय सभी अभियुक्त हाथ में लाठी, डंडा, रॉड लेकर आये। सूचक एवं दीनानाथ पासवान डर कर भागे। भागने के क्रम में गिर जाने की वजह से दीनानाथ पासवान को चोट आयी। साक्ष्यक्रम में साक्षी ने मामले के लिखित आवेदन को प्रदर्श 1 पहचान किया है। प्रतिरक्षा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि लिखित आवेदन को किसने लिखा, याद नहीं है। आवेदन पढकर नहीं सुनाया गया है। डर के कारण भागने के क्रम में गिरने की वजह से चोट आयी। आज न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया है।

9. साक्षी संख्या 2 मामले के जख्मी दीनानाथ पासवान है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना कब हुई है, याद नहीं है। पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ था। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इनकार किया है कि इसने पुलिस के समक्ष सभी अभियुक्तों के साथ झगड़ा–झंझट हुआ, जिसमें इसका सर फटा। साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्तों से मिलकर सही बात को छिपा रहा है और झूठी गवाही दे रहा है। सभी अभियुक्तो को पहचानने का कथन किया है। प्रतिरक्षा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि सभी मुदालय गांव के हैं, इस वजह से उन्हें पहचानता है।

Office of Principal District & Sessions Judge ★ Bhojpur, Ara ★ सत्यमेव जयते

सत्र न्यायाधीश
19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 111 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार
19.03.2026

8. जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 255 में स्पष्ट प्रावधान है – ***" यदि सम्बद्ध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात् न्यायाधीश का यह विचार है कि इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायाधीश दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा।"***

9. अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत उक्त दोनों साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। सभी अभियुक्तों के विरूद्ध यह अभियोग है कि इन्होंने मिलकर लाठी, डंडा एवं रड से मारपीट किया, जिसमें साक्षी संख्या 2 दीनानाथ पासवान को चोट आयी। साक्ष्यक्रम में सूचक एवं जख्मी दोनों ने ही घटना का समर्थन नहीं किया है, अपितु सूचक ने तो यह कहा है कि भागने के क्रम में गिरने की वजह से जख्मी दीनानाथ पासवान को चोट आयी। इसप्रकार अभियोजन की ओर से ऐसा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तों ने भी इनके विरूद्ध गठित आरोप का कोई अपराध कारित किया है। ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत आरोपी अभियुक्त की जॉच को समाप्त किया जाता है। तद्नुसार, अभियुक्त प्रेमाधार राम, दीपु राम, पारस राम उर्फ पारसनाथ राम, संजीत राम, रंजीत राम, मनीष राम, रवि राम, सुदर्शन राम, उदय शंकर राम, मनु राम, भूषण राम, मुकेश राम, आशिर्वाद राम, अमित राम, दीपक राम, जंगबहादूर राम, कमलेश राम, हरिकिशुन राम, देवसागर राम, सोनाधन राम, नन्द कुमार राम, गंगासागर राम, देवव्रत राम, आशा देवी, मानती

Office of Principal District & Sessions Judge ★ Bhojpur, Ara ★ सत्यमेव जयते

सत्र न्यायाधीश
19.03.2026

न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।
सत्र विचारण संख्या 111 सन् 2026
उपस्थितः श्री पुरूषोत्तम मिश्र,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

लगातार
19.03.2026

देवी, फुलन देवी, शान्ति देवी, चंद्रावती देवी, प्रमोद राम, जगजीवन राम, सुरज राम एवं गोविन्दा राम को इनके विरूद्ध दर्ज बिहियां थाना काण्ड संख्या 91/2025 में गठित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। सभी आरोपी जमानत पर हैं। अतः सभी आरोपियों को एवं इनके जमानतदारों को धारा 437 ए दं0 प्र0 सं0 के जमानत बंधपत्र के दायित्य से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(पुरूषोत्तम मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।
19.03.2026

Office of Principal District & Sessions Judge
सत्यमेव जयते
Bhojpur, Ara